बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

ज्ञानदीप पोर्टल

http://gyandeep-rte.bihar.gov.in/

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (C) के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से नामांकन हेतु सुनहरा मौका

छात्र पंजीकरण की अंतिम तिथिः 31 जनवरी 2026

उद्देश्य

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009** की धारा 12(1)(c) एवं बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में **25%** कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से शैक्षणिक **सत्र 2026–27** में **Online** नामांकन किया जाना है।

नामांकन हेतु पात्रता

- अलाभकारी समूह के बच्चे से अभिप्रेत है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ट्रांसजेन्डर सहित) एवं अल्पसंख्यक समूह जिनके माता–पिता/वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय **1,00,000/–(एक लाख) रूपये** तक हो।
- कमजोर वर्ग के बच्चे से अभिप्रेत है सभी जातियाँ/समुदाय के बच्चे जिनके माता–पिता/वैधानिक अभिभावक की **वार्षिक आय 2,00,000/–(दो लाख) रूपये** से कम हो।

अनाथ बच्चे :–

अनाथ बच्चे से अभिप्रेत है, जिनके माता–पिता नहीं है।

आयु की सीमा :–

01 अप्रैल 2026 तक 6+ वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। (**02 अप्रैल 2018 से 01 अप्रैल 2020** के बीच जन्म लिए बच्चे प्रवेश के लिए पात्र हैं।)

नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

1 ज्ञानदीप पोर्टल पर बच्चों का प्रारंभिक पंजीकरण किया जाएगा। माता–पिता/अभिभावक अपने मोबाइल नंबर के साथ उक्त पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।

2. आवेदन करने के समय माता–पिता या उनके अभिभावक के आधार कार्ड का सत्यापन अनिवार्य होगा तथा बच्चों के आधार कार्ड का सत्यापन वैकल्पिक होगा। (बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं होगा, परन्तु विद्यालय में प्रवेश के समय तीन महीने के अंदर माता–पिता या अभिभावक अपने बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से विद्यालय में जमा करेंगे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक बच्चों के आधार को पोर्टल पर अपलोड करेंगे/करायेंगे।)

3. पंजीकरण के बाद आवेदन के लिए उनका **User Id** उनके मोबाइल नंबर पर **SMS** के माध्यम से भेजा जाएगा।

4 इस **User Id** द्वारा लॉगिन करने के पश्चात् बच्चे के माता–पिता या अभिभावक शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के ज्ञानदीप पोर्टल **http://gyandeep-rte.bihar.gov.in/** के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भर सकेंगे।

5 ज्ञानदीप पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर **18003454417/14417** ज्ञानदीप पोर्टल का ई.मेल आईडी: **rtebiharhelp@gmail.com**

महत्वपूर्ण दस्तावेज

- जन्म प्रमाण–पत्र/अस्पताल या नर्स अभिलेख/आंगनबाड़ी अभिलेख/माता–पिता या अभिभावक द्वारा उम्र हेतु दिया गया घोषणा पत्र।
- जाति प्रमाण–पत्र (अनाथ बच्चों के संदर्भ में अनिवार्य नहीं)
- आय प्रमाण–पत्र (अनाथ बच्चों पर लागू नहीं)
- निवास प्रमाण–पत्र (Domicile Certificate)/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/रेंट एग्रीमेंट/बिजली बिल (अनाथ बच्चों के संदर्भ में अनिवार्य नहीं)।निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के अंदर माता–पिता या अभिभावक अपने बच्चे का निवास प्रमाण पत्र विद्यालय के माध्यम से अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
- ट्रांसजेन्डर से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र।
- अनाथ बच्चों के लिए उनके अभिभावक/संस्था के प्रधान द्वारा समर्पित अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट (Undertaking certificate)। अनाथ बच्चों के मामलों में माता–पिता के आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी।
- माता–पिता या अभिभावक का आधार कार्ड (नामांकन के पश्चात् बच्चे का आधार कार्ड)।
- बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं होगा, परन्तु विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के अंदर माता–पिता या अभिभावक अपने बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से विद्यालय में जमा करेंगे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक उक्त आधार को ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करेंगे/करायेंगे।
- माता–पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर
- बच्चे का अद्यतन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो **(Size 50 kb)**

नामांकन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां

- प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों द्वारा **Intake Capacity update** करना : **22 दिसम्बर 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक**
- छात्र पंजीकरण. **02 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक**
- पंजीकृत छात्रों का सत्यापनः **03 जनवरी 2026 से 02 फरवरी 2026 तक**
- सत्यापित छात्रों का ऑनलाईन स्कूल आवंटनः **06 फरवरी 2026**
- चयनित छात्रों का विद्यालय में प्रवेश : **07 फरवरी 2026 से 21 फरवरी 2026 तक**

नोट : नामांकन प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ज्ञानदीप पोर्टल http://gyandeep-rte.bihar.gov.in/ पर विजिट करें।

PR No.- 020847 (Education)D. 2025-26